

W 692481

35
...14

2

जिल्द-संख्या 02 वर्ष 19 20.14.15

दिनांक प्राप्त हुआ श्री राज कृष्ण सिंह

कितने मंदा 25000 रु. का

25000 रु. का
श्री राज कृष्ण सिंह - 2500000

नकद

स्टाम्प के रूप में

कुल 2500000

कुल मंदा 2500000 रु. का

(केवल रुपये पैसे)

प्राप्त करने वाला पदाधिकारी
श्री राज कृष्ण सिंह
(9802)

9/4/2016
तारीख 19

भाग 2

38
9.4.14
02:56 PM
S. N. S.

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए

25 खगड़िया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम तेज बहादुर सिंह

पिता/माता/पति का नाम अजय कुमार

उसका डाक पता ग्राम+पो. सोन्दीरा, भाग-पसराहा, जिला-खगड़िया, बिहार

उसका नाम 151 परवना विधानसभा, 25 खगड़िया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 94/2 में क्रम संख्यांक 712 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे उस संसदीय निर्वाचक-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज है, और इस नाम निर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्र. सं.	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०			
1	बलदेर	82	660 ✓	प्रभु नारायण सिंह	प्रभु नारायण सिंह	9-4-14
2	बलदेर	82	44 ✓	सकल देव सिंह	सकल देव सिंह	9.4.14
3	परवना	284	253 ✓	सुधीर यादव	सुधीर यादव	9.4.14
4	बलदेर	82	50 ✓	प्रभात रंगन प्रियेता	प्रभात रंगन प्रियेता	9.4.14
5	अमौली	188	1112 ✓	हरिबोल प्रसाद यादव	हरिबोल प्रसाद यादव	9-4-2014
6	बलदेर	41	1104 ✓	अनिल सिंह	अनिल सिंह	9.4.14
7	अमौली	147	10298 ✓	दिलीप कुमार शर्मा	दिलीप कुमार शर्मा	9.4.14
8	अमौली	147	519 267 ✓	गुनेश्वर लाल	गुनेश्वर लाल	9.4.14
9	खगड़िया	99	118122 ✓	अजीत कुमार	Ajeet Kumar	9.4.14
10	खगड़िया	177	852 ✓	गोपाल प्रसाद सिंह	Gopesh Singh	9/4/14

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचक-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने 71 (एकहतर) वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में प्राउटिस्ट सर्व समाज इण्डिया दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राय में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतिक मुझे, आवंटित किया जाए।

✓ (ii) मुझे इस निर्वाचन में प्राउटिस्ट सर्व समाज इण्डिया दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतिक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) बैड (ii) शून्य (iii) शून्य हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/प्रति का नाम ऊपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो शून्य शून्य राज्य के उस राज्य में के शून्य (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में "" नाम निर्देशित नहीं किया गया और नह ही किया जाएगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

तेजवर्धन

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

** लागू न हो वाले शब्द काट दीजिए।

जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :- मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

(1)(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है, या

हाँ/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक शून्य

(ii) पुलिस थाना (थानों)..... शून्य जिला (जिले).....
राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
शून्य

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/तारीखें..... शून्य

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था
शून्य

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें.....
शून्य

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)..... शून्य

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....
शून्य

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विषयियां
शून्य

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....
शून्य

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया या वह/वे लंबित है.....
शून्य

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)..... शून्य

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)..... शून्य

स्थान : रकार्डिंग
तारीख : 9.4.14

अभ्यर्थी
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

